राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प012(7) राज/वाद/2024 जयपुर दिनांकः 5/7/2024

समस्त राजकीय अधिवक्ता/अति0राजकीय अधिवक्ता/
उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजकगण/
गवर्नमेंट काउन्सिल/एडि0गवर्नमेंट काउन्सिल/
डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल,
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।

विषयः– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से सिविल/आपराधिक प्रकरणों में समय पर उपस्थिति प्रस्तुत करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि कई बार राज्य सरकार की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ में नियुक्त राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल आदि समय पर माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं होते है। माननीय न्यायालय द्वारा इस स्थिति को गंभीरता से लिया गया है। पूर्व में इस कार्यालय द्वारा भी इस सन्दर्भ में सभी राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल आदि को समय–समय पर निर्देशित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु लिस्टेड होने वाले सिविल/आपराधिक प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से समुचित एवं प्रभावी पैरवी करने हेतु निर्धारित समय पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें एवं भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति को गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावें।

05/07/2024

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि